<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> (स्थापना विभाग)

मानक भवन,

9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002

दिनांक: 02.09.2019

हमारा संदर्भ: Estt-V/जी-3:2/2018

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है: It has been decided to transfer the following officials as per details given below:

क्रं.	कर्मचारी	नाम एवं पद	स्थानांतरण	
सं.	सं.		से	में
i)	062006	Shri Mahesh Kumar, Section Officer	Legal Deptt.	Admin. Deptt.
ii)	059838	Shri Naresh Kumar, Assistant	Admin. Deptt.	Legal Deptt.
iii)	061085	Shri Suman Batra, Stenographer	LPPD	CL, Sahibabad
iv)	062472	Smt. Ritu, UDC	CED	CAD
v)	067032	Shri Pawan Mundepi, LDC	CAD	CED
vi)	032123	Shri Ashish Kumar, Helper	DDGASectt	Admin. Deptt.
vii)	066311	Shri Deepak Kumar Verma, Junior Translator	SRO, Chennai	HQs-Hindi Deptt
viii)	031968	Shri M. Satish Kumar, Helper	DDGS Sectt.	BNBO, Bangalore

- 2. उपरोक्त कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के अपने वर्तमान स्थान से दिनांक 02 सितंबर 2019 (अपराहन) में कार्यमुक्त होंगे और दिनांक 03 सितंबर 2019 (पूर्वाहन) में पोस्टिंग के अपने नये स्थान पर डयूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। Officials mentioned above shall STAND RELIEVED from their present place of posting in the afternoon of 02 September 2019 and shall report for duty at their new place of posting in the forenoon of 03 September 2019.
- 3. उपरोक्त क्र. सं. vii) एंव viii) में उल्लेखित कर्मचारी अपने स्वंय के अनुरोध पर स्थानांतरित किये गये हैं, अतः वे किसी भी स्थानांतरण लाभ, जोइनिंग टाइम, आदि पाने के हकदार नहीं होंगे तथा वह अपने स्थानांतरण से पहले सीजीएस कार्ड, किताब/प्रकाशन, यदि कोई हो, जोिक उन्होंने अपने नाम से जारी कराई हैं, तो विभाग को वापस करेंगें। उनके लिये यह आवश्यक है कि वह स्थानांतरित होने से पहले अपने सभी देय समायोजनों जैसे कि चिकित्सा, एल.टी.सी., यात्रा भत्ता, आदि का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगें। Official mentioned at Sl. No vii) and viii) have been transferred on their own requests, therefore, they shall not be entitled to any transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc. They shall return CGHS Card(s), any book or publication borrowed by them, if any, before their relieving. They are required to settle the due adjustments i.e. TA/DA, LTC, Medical, etc. in accordance with the relevant rules and regulations before relieving.
- 4. उनके लिय यह आवश्यक है कि वह अपनी इयूटी ग्रहण रिपोर्ट अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से स्थापना विभाग (estt@bis.org.in) तथा साथ ही एक कॉपी निदेशक (वित्त) को प्रेषित करेंगें। They are required to send their Joining Report through their Departmental Head to Establishment Department (estt@bis.org.in) together with a copy endorsed to Director (Finance) (fin@bis.gov.in), in due course.
- 5. यह आदेश, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This issues with the approval of Competent Authority.

[ले. कर्नल (सेवानिवृत) कुमार शांतनु] निदेशक (स्थापना)

उपरोक्त सभी संबंधित कर्मचारियों को बीआईएस इंटानेट के माध्यम से/ To all conerend employees through BIS Intranet

कापी प्रेषित:

i) उपमहानिदेशक (प्र.) सचिवालय

ii) संबंधित उपमहानिदेशक

iii) संबंधित विभागीय प्रमुख

iv) निदेशक (लेखा)

v) निदेशक (वित्त)

vi) निजि फाईल

vii) लीव फाईल